

1085
संख्या-सी-04/81-2-2023-800(04)/2023

प्रेषक,

नीता चौधरी,

उप सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में.

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 24 मई 20 23
विषय- जनपद सोनभद्र के ओबरा वन प्रभाग के अन्तर्गत 400 हे०वी० लीलो ओबरा विद्युत पारेषण लाईन में प्रभावित 7.5118 हे० आरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के लीज नवीनीकरण के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/ट्रांस/44753/2020)
महोदय

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-3165/11-सी-एफपी/यूपी/ट्रांस/44753/2020 दिनांक 03.04.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयगत प्रस्ताव के परीक्षणोंपरान्त निम्न कमियां पायी गई हैं :-

1. पूर्व लीज डीड की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करायी जाय।
2. वर्तमान प्रस्तावित लीज डीड नवीनीकरण में प्रयोक्ता एजेन्सी में० अडानी है अथवा 30प० पावर ट्रांसमिशन कार्पो० लि० है ?
3. प्रश्नगत प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत Ex-post Facto प्रस्ताव है अथवा नहीं ?

कृपया उपरोक्तानुसार सूचना/अभिलेख शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
भवदीया,

Signed by नीता चौधरी

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक- 3745/11-सी-एफपी/यूपी/ट्रांस/44753/2020, लखनऊ, दिनांक: मई 26, 2023
उप सचिव।

- प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर मण्डल, मिर्जापुर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर वांछित बिन्दुवार सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख इस कार्यालय को तीन प्रतियों में संस्तुति के साथ प्रेषित करने का कष्ट करें।
- प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर वांछित बिन्दुवार सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख इस कार्यालय को वन संरक्षक के माध्यम से तीन प्रतियों में संस्तुति के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- प्रतिलिपि- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत पारेषण खण्ड, 220 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र तलबल हाईडिल कालोनी, गाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।